

श्री आदित्य कुमार दास, भा.प्र.से., जिलाधिकारी, जहानाबाद के द्वारा दिनांक 02.07.2014 को रतनी फरीदपुर प्रखण्ड के विभिन्न कार्यालयों का किये गये औचक निरीक्षण का निरीक्षण टिप्पणी :-

आज दिनांक 02.07.2014 को अधोहस्ताक्षरी के द्वारा रतनी फरीदपुर प्रखण्ड के विभिन्न कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान निम्न स्थिति कार्यालयवार पाई गई :-

1. **प्रखण्ड कार्यालय, रतनी फरीदपुर :-**

पूर्वाह्न 11.30 बजे प्रखण्ड कार्यालय, रतनी फरीदपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री अखिलेश कुमार, प्रखण्ड नाजीर एवं श्री हरदेव कुमार, आई0टी0 ऑपरेटर अनुपस्थित पाये गये। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के द्वारा बताया गया प्रखण्ड नाजीर कोषागार वेतन विपत्र ऑन लाईन कराने गये हैं। श्री हरदेव कुमार, आई0टी0 ऑपरेटर के दिनांक 02.07.2014 के मानदेय भुगतान की कटौती की जाती है।

**(अनुपालन : प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर )**

श्री कौशल किशोर, पंचायत राज पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर दो दिनों से बिना पूर्व सूचना के प्रखण्ड से अनुपस्थित पाये गये। इनके दिनांक 01.07.2014 एवं 02.07.2014 के वेतन भुगतान पर रोक लगाई जाती है। ये अपना स्पष्टीकरण प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के माध्यम से समर्पित करें कि क्यों और किन परिस्थितियों के कारण कार्यालय से अनुपस्थित पाये गये।

**(अनुपालन : कोषागार पदाधिकारी, जहानाबाद / प्रखण्ड विकास पदा0, रतनी फरीदपुर / श्री कौशल किशोर, पंचायत राज पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर )**

- **रोकड़ पंजी :** - रोकड़ पंजी के मांग किये जाने पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि नाजीर कोषागार में वेतन विपत्र का ऑन लाईन कराने गये हुये हैं, उन्हीं के पास रोकड़ पंजी रहती है। ऑन लाईन कराने के संबंध में जब पूछा गया तो प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि वेतन विपत्रों एवं अन्य किसी भी प्रकार के बिल को कोषागार से पास कराने के लिए पहले निजी कम्प्यूटर ऑपरेटरों से ऑन लाईन कराकर कोषागार में जमा कराना पड़ता है, इसके लिए प्रति बिल 100/- रूपया देना पड़ता है, जिसे कार्यालय कर्मी के द्वारा आपस में पैसा इक्ठठा करके करते हैं। जबकि ये कार्य प्रखण्ड/अंचल के कम्प्यूटर ऑपरेटर के द्वारा भी किया जा सकता है। सभी प्रखण्डों/अंचलों में कम्प्यूटर एवं इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। इसके संबंध में अंचल नाजीर के द्वारा बताया गया कि कोषागार एवं जिला स्थापना शाखा के श्री संजय कुमार, सहायक के द्वारा प्रशिक्षण नहीं दिया गया है, जिसके कारण ऑनलाईन करने की जानकारी उपलब्ध नहीं है। कोषागार पदाधिकारी, जहानाबाद एवं जिला स्थापना उप समाहर्ता, जहानाबाद को निदेश दिया जाता है कि दिनांक 06.07.2014 (रविवार) को समाहरणालय ग्राम कम्पलैक्स में सभी प्रखण्डों / अंचलों के कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं नाजीर की संयुक्त प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित कर उन्हें बिल ऑनलाईन करने का प्रशिक्षण दें। इसके लिए जिला स्थापना शाखा के श्री संजय कुमार, सहायक एवं कोषागार से मो0 अजहर आलम, कम्प्यूटर ऑपरेटर को प्रशिक्षण देने हेतु प्रतिनियुक्त करें ताकि प्रशिक्षण के बाद किसी भी प्रखण्ड/अंचल से नाजीर बिल ऑन लाईन निजी कम्प्यूटर ऑपरेटर से कराने के लिए जिला मुख्यालय में न आयें बल्कि प्रखण्ड/अंचल से ही बिल ऑन लाईन करके कोषागार को भेज सकें।

**(अनुपालन : जिला स्थापना उप समाहर्ता, जहानाबाद / कोषागार पदाधिकारी, जहानाबाद / सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / सभी अंचलाधिकारी )**

